

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 - 807

/पटना, दिनांक-28/4/25

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0स0
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0108 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष), विपत्र कोड संख्या-37-4515-00-789-0108 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक योजना के निर्माण (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत् अनुरक्षण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-15 में अंकित राशि की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष-अनुसूचित जाति) अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17 (सतरह) अर्द्ध योजनाओं के निर्माण (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत् अनुरक्षण कार्य के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ-15 में अंकित राशि की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है:-

Sl. No.	Habitation Survey ID	District	Division	Block	Start Point Name	End Point Name	Category	Population	Length (in Km)	Construction and Surface Renewal Amount (in Lakh)	Maintenance Amount (in Lakh)	Administrative and Contingency Amount (in Lakh)	Private Land Cost (in Lakh)	Administrative Approval Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	86969	Buxar	Dumraon	Barhampur	Mohini Yadav Dem, Ramdihia	Pratmik Vidyalay Dholi Tola Bhadwar	SC	155	6.500	653.623	87.760	18.474	0.000	759.857
			Dumraon Total						6.500	653.623	87.760	18.474	0.000	759.857
1	96642	Patna	Patna	Sampatchak	Patna Road Near Culvert Azimchak Road Opposite Side To Karanpura Hahibag Sitjenchak Chakbairiya	Han Singh Tola	SC	210	3.850	424.132	54.595	12.164	66.428	557.319
			Patna Total						3.850	424.132	54.595	12.164	66.428	557.319
1	53157	Kaimur	Bhabus	Adhaura	Lohra Chaurahani	Panchmahul	SC	285	5.500	492.510	51.340	14.043	0.000	557.893
2	53451	Kaimur	Bhabus	Adhaura	L026 Kanki Dohar Timmuhani	Dumraon ST Tola	SC	260	4.440	543.710	42.849	15.451	0.000	602.010
			Bhabus Total						9.940	1036.220	94.189	29.494	0.000	1159.903
1	77890	Rohtas	Dehri	Dehri	Dehri Balaithu Road Hothadwa Pull	Patna Kala	SC	525	8.900	888.680	111.247	24.938	0.000	1024.865
			Dehri Total						8.900	888.680	111.247	24.938	0.000	1024.865
1	82436	Banka	Banka-I	Shambhuganj	Karanpur Primary School	Patni Khajuri	SC	400	3.000	519.210	45.020	14.770	0.000	578.990
			Banka-I Total						3.000	519.210	45.020	14.770	0.000	578.990
1	83738	Bhagalpur	Navgachia	Bāpur	Bhawanpura MMGSY Road	Katorpur Bajmoghli Ashan	SC	2000	7.362	990.714	111.885	27.745	0.000	1130.344
			Navgachia Total						7.362	990.714	111.885	27.745	0.000	1130.344

(Signature)

- II. कार्यपालक अभियंता (PIU) का दायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
- III. इन योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का भुगतान योजना शीर्ष-4515 एवं सतत अनुरक्षण कार्य की राशि गैर योजना मद शीर्ष-3054 से भारित किया जायेगा।
- IV. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- V. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जायेगा।
- VI. कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
- VII. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 05 (पाँच) तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- VIII. इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- IX. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- X. स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि MIS पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
- XI. संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है एवं पूर्व में इन पथों की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है।
- XII. स्वीकृत योजनाओं की निविदा/पुनर्निविदा ई-निविदा के माध्यम से मुख्यालय स्तर द्वारा करायी जायेगी।
- XIII. स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के लिए निर्गत संकल्प एवं मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।
- XIV. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से Road Safety and Social & Enviornmental से संबंधित बिन्दुओं का नियमानुसार प्रावधान रखते हुए प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।
- XV. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का वहन योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0108 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष), जिसका विपत्र कोड संख्या-37-4515-00-789-0108 है, सतत अनुरक्षण कार्य की राशि का वहन गैर योजना मद शीर्ष-3054-सड़क तथा सेतु-उप मुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के-लघु शीर्ष-105-रख रखाव तथा मरम्मत-उप शीर्ष-0001-ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय, जिसका विपत्र कोड संख्या-37-3054041050001 है एवं भूमि अधिग्रहण/सतत लीज की



राशि का वहन योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 103-ग्राम विकास-उप शीर्ष-0101-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (0101-33-02 मुआवजा) जिसका विपत्र कोड संख्या-37-4515001030101 है, के लिए प्राप्त उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

- (क) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष-अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
- (ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि(2), दिनांक-03.01.2008 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- (ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
3. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 28.04.2025 को संचिका संख्या:- BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 के पृष्ठ-9 / टि० पर प्राप्त है।
4. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या-12888 (वि०) दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या:- BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 के पृष्ठ-9 / टि० पर दिनांक:- 28.04.2025 को विभागीय अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 के पृष्ठ संख्या:- 9 / टि० पर दिनांक:- 28.04.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

 28/4/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक: BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 - 807 / पटना, दिनांक-28/4/25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 28/4/25

सरकार के संयुक्त सचिव